बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक—मु0अ0—4 (मु0)—3054—01—13 पार्ट—1 / 2023 · 1038 / पटना, दिनांक—29.08.2024

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा0प्र0से0
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषयः— मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अनुसूचित जाति घटक के अधीन बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में 01 योजना के उन्नयनार्थ स्तम्भ—6 में अंकित लम्बाई (कि0मी0) एवं स्तम्भ—10 में उन्नयनार्थ तथा पंचवर्षीय अनुरक्षण सहित अंकित राशि पर योजनावार जिनकी कुल राशि रू0 565.27400 लाख रूपये (पाँच करोड़ पैसठ लाख सताईस हजार चार सौ रूपये) मात्र है, पर पैकेजवार (कुल 01 योजना) प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अनुसूचित जाति घटक के अधीन बिहार राज्य के विभिन्न जिलों अन्तर्गत 01 योजना के उन्नयनार्थ समर्पित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जिसकी अनुमोदित राशि 05 से 15 करोड़ के बीच में है पर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है जिनके लिए स्तंभ 07 एवं 09 में अंकित कुल राशि 461.53900 लाख एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण की राशि रु0—103.73500 लाख (स्तंभ—08) है इस प्रकार कुल राशि 565.27400 लाख मात्र है पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

Sl No.	District	Division	Block	Road Name	Length	Cost of Upgradation / Strengthening with surface (in Lakhs)	Cost Of 5 year Maintenance (in Lakhs)	Adminstrative fund and Contigency Cost (in Lakhs)	Total Estimated Cost (in Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nalanda	Rajgir	Ben	Bihar Parawalpur NH-83 Path Ke Rasullah More To Patel Egro Ethnol Plant	1.820	447.01100	103.73500	14.52800	565.27400
Total					1.820				565.27400

2. मांग संख्या—37—मुख्य शीर्ष—4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष — 00, लघु शीर्ष —789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष — 0107— मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना (अनुसूचित जाति), विषय शीर्ष—5301 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड — 37—4515—00—789—0107, बजट उपबंध—700 करोड़ रु0 का बजट उपवंध प्राप्त है। बिहार सरकार, वित्त विभाग के पत्रांक— 3758 दिनांक 31.05.2017 की कंडिका 11 के अनुसार प्राप्त बजट के तीन गुणा राशि में से पूर्व के दायित्व के राशि को घटाते हुये नई योजना की स्वीकृति दी जा सकती है।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

Scanned with OKEN Scanner

3. मांग संख्या–37 बजट शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु, उपमुख्य शीर्ष– 04–जिला तथा अन्य सड़कें, लघु शीर्ष –105 रख–रखाव तथा मरम्मत, उपशीर्ष–0001 ग्राम सड़क– अन्य रख–रखाव व्यय, विषय शीर्ष –2702 अनुरक्षण एवं मरम्मत, विपत्र कोड–37–3054041050001 से प्राप्त होने वाली राशि से भारित किया जायेगा जिसके लिये वित्तीय वर्ष 2024–25 में 2000 करोड़ रु0 का बजट उपबंध प्राप्त है। वित्त विभाग के निर्गत संकल्प संख्या–3758 दिनांक 31.05.2017 की कंडिका–11 के अनुसार पंचवर्षीय अनुरक्षण की राशि उपलब्ध Bank of Sanction की राशि के अन्तर्गत है।

4. संबंधित कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमण्डल, राजगीर योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेगें। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकरी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होगें।

5. सारणी में अंकित योजना का विभागीय रुप से कार्य सम्पादन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।

6. इन योजना के चयन के प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री महोदय का अनुमोदन संचिका संख्या– मु0अ0–4 (मु0)–3054–01–13 पार्ट–1/2023 में दिनांक 12.07.2024 को प्राप्त है।

7. सारणी में अंकित योजना का **विभागीय रुप से कराए गये कार्य की घटनोतर प्रशासनिक अनुमोदन** के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार माननीय विभागीय मंत्री महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचिका संख्या– मु0अ0–4 (मु0)–3054–01–13 पार्ट–1/2023 में दिनांक 20.09.2024 को प्राप्त है।

8. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

9. योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

10. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजना किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अच्छादित नहीं हो।

11. संबंधित योजना U/SRI कैटेगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरान्त ही योजना कार्यान्वित की जाय।

12. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर उक्त योजना हेतु राशि की निकासी की जायेगी।

13. वित्त विभाग के संकल्प सं0–3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।

14. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।

15. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

16. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजना के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रुप से उपलब्ध कराएंगे।

17. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रुप से किया जायेगा एवं कार्यो को स–समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएगे।

18. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– मु0अ0–4 (मु0)–3054–01–13 पार्ट–1/2023 के पृ0–19/टि0 पर दिनांक–14.08.2024 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(उज्ज्वल कुमार सिंह)
विशेष सचिव

ज्ञापांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–01–13 पार्ट–1/2023-1038 /पटना, दिनांक–29.08.2024
प्रतिलिपि–संबंधित कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(उज्ज्वल कुमार सिंह)
विशेष सचिव

ज्ञापांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–01–13 पार्ट–1/2023-1038 /पटना, दिनांक– 29.08.2024
प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त, /अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता– 1, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल/संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं आई0टी0 नोडल पदाधिकारी को MIS में अपलोड करने हेतु एवं आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(उज्ज्वल कुमार सिंह)
विशेष सचिव

Scanned with OKEN Scanner